07.07.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09 नियम 13 एवं 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर आज सुनवाई पर वकुलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस सुनी गई।

बहस के दौराने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया एवं 9 अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अप्रार्थीगणों ने न्यायालय श्रीमान में खातेदारी उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद पत्र दिनांक 11.03.2011 को प्रस्तुत किया गया था। जिसके मुकदमा नम्बर 90/2011 निर्मित हुए। तदोपरान्त पत्रावली सुनवाई दिनांक 04.11.2011 को वास्ते प्रस्तुतिकरण जवाबदावा हेतु नियत थी। उस सुनवाई पर प्रतिवादीगण के नियुक्त अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई एवं सुनवाई दिनांक 19.11.2014 को एकतरफा डिक्री पारित कर दी गई। जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को दिनांक 22.06.2015 को हुई तथा इसके पश्चात प्रार्थीया द्वारा न्यायालय से वांछित प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर, दिनांक 01.07.2015 को यह प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत कर दिया गया। प्रार्थीया के नियुक्त अधिवक्ता श्री कैलाश पाराशर की लापरवाही के कारण प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकतरफा डिक्री न्यायालय द्वारा पारित की गई। साथ ही विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत पृथक से प्रा.पत्र प्रस्तुत कर, प्रार्थनापत्र बैरून मियाद को क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा. पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ।

अतः सादर अनुरोध है कि दिनांक 19.11.2014 से विपक्षीगणों/प्रार्थीया के विरूद्ध हो चुकी एकपक्षीय डिक्री/निर्णय को अपास्त कर, पुनः दो तरफा करते हुए, मूल वाद संख्या 90/2011 में जवाब प्रस्तुतिकरण की अनुमति दिलाई जावें।

अप्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी के द्वारा कथित तर्को का खण्डन करते हुए, निवेदन किया कि प्रार्थीया के कथनानुसार सुनवाई दिनांक 04.11.2011 को जवाब बन्द किया गया अवसर समाप्त किया गया। सुनवाई दिनांक 19.11.2014 को एकतरफा डिक्री पारित कर दी गई। जो सही होकर सत्य है। लेकिन न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विधि सम्मत् तरीके से वादपत्र में अन्तिम डिक्री पारित की गई है। प्रार्थीया को जवाब दावा प्रस्तुतिकरण के मुनासिब अवसर न्यायालय द्वारा प्रदत्त किए गये थे। फिर भी प्रार्थीया पक्ष द्वारा मूल वाद में जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया। इसके पश्चात भी पेरोकार के जवाब में पेशी तारीख 22.11.2011 से तारीख 30.04.2013 तक कुल आठ मौके दिये गये। इस अवधी में भी प्रार्थीया पक्ष न्यायालय में उपस्थित नही हुई एवं न ही उनके द्वारा हो चुकी एकतरफा कार्यवाही के निरस्तिकरण के प्रयास किए गये।

इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा समय रहते जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया, जिससे एकपक्षीय डिक्री जारी की गई। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण अनावश्यक विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थनापत्र को सव्यय अस्वीकार फरमाया जावें।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों के प्रस्तुत तर्को पर चिंतन किया एंव पत्रावली व पत्रावली पर प्रस्तुत किए गये प्रार्थनापत्र/जवाब तथा समर्थन में प्रस्तुत कराये गये दस्तावेजात का बारीकी से अध्ययन एंव विश्लेषण किया गया।

वादपत्र की लिखी गई साबिक आदेशिकाओं को देखने से यह स्वतः स्पष्ट है प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुतिकरण के लिए मुनासिब अवसर न्यायालय द्वारा अनुदत्त किए गये है। सिविल प्रक्रिया संहिता में भी इसका स्पष्ठ उल्लेख है कि न्यायालय द्वारा अनुदत्त नियत अवधि में अनुपालन नही होने पर न्यायालय विरूद्ध प्रतिवादीगण एकतरफा कार्यवाही कर सकेगा। इसी प्रकार से न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विधि सम्मत् तरीके से अन्तिम डिक्री पारित की गई है। न्यायालय में उपस्थित नही हो पाने के हेतुक के तौर पर प्रार्थीया पक्ष द्वारा अवगत कराये गये तर्क बूनियादी तौर मजबूरी युक्त नही बल्कि आधारहीन प्रतीत होते है।

यानि यह स्पष्ठ है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थनापत्र बिना कोई ठोस हेतुक के, आधारहीन तथ्यों को लेकर प्रस्तुत किया है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09 नियम 13 एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, में वर्णित तथ्यों को प्रार्थीया पक्ष सिद्ध करने में असफल रहने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।